न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 71/2023

1. बलदेव पुत्र श्रवण
2. भगवान सहाय पुत्र श्रवण
3. रामनारायण पुत्र श्रवण
4. हरिशचन्द्र पुत्र श्रवण

समस्त जाति रैगर निवासी बोबास तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्रवण
2. कमला पुत्री श्रवण
3. रामप्यारी पुत्री श्रवण
4. झमकु पुत्री श्रवण
5. रतनी पुत्री श्रवण
6. मैना पुत्री श्रवण
7. संतोष पुत्री श्रवण
8. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
9. सब रजिस्ट्रार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0

उपस्थितः— 1. सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः— 10.01.2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पिता स्व0 श्रवण पुत्र दीनाराम उर्फ धन्ना की खातेदारी की आराजी ख0न0 760/2 रकबा 1.0495 है0 जो वाकै ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जो कि वर्तमान मे वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा07 के पिता के श्रवण के नाम से दर्ज व अंकित है जिस पर वर्तमान मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 लगा07 का कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

उक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जो राजस्व रिकॉर्ड मे पर्चा के समय से ही श्रवण पुत्र दीना के नाम से अंकित चली आ रही है क्योकि श्रवण के पिता के नाम को दो नामो से बुलाया जाता था इसलिये श्रवण के पिता का नाम अलग अलग आराजीयात मे अलग अलग दर्ज हो गया जबकि श्रवण पुत्र दीना व श्रवन पुत्र धन्ना एक ही व्यक्ति है ओर साथ ही श्रवण के पिता दीना व धन्ना भी एक ही व्यक्ति थे। वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 लगा07 के पिता श्रवण अशिक्षित होने से अपनी आराजी के राजस्व अभिलेखों मे दर्ज अलग अलग नाम को समझ नही पाऐ जिससे अलग अलग आराजी मे अलग अगल नाम ही चलता रहा। वादीगण एव प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 27/4/2013 को हो जाने पर मृत्यु प्रमाण श्रवण लाल पिता धन्नाराम के नाम से बना जिससे श्रवण की अन्य आराजी मे फौती नामान्तरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं01 लगा07 के नाम से खुल गया परन्तु श्रवण के मृत्यु प्रमाण पत्र मे पिता का नाम धन्नाराम उर्फ दीना नही होने से वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 760/2 वाकै ग्राम बोबास तह0 जोबनेर का नामान्तरण वादीगण एव प्रतिवादीगण सं0 1 लगा07 के नाम नही खुल पाया। वादीगण द्वारा कई बार वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरण खुलवाने के लिये पटवार हल्का बोबास व तहसीलदार जोबनेर को निवेदन किया परन्तु उन्होने न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा। वादीगण द्वारा ग्राम बोबास मे लगे केम्प दिनांक 1/6/2023 को भी तहसीलदार जोबनेर को व पटवार हल्का बोबास को वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा07 के नाम तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु वह दिनांक 1/6/2023 को स्पष्ट रूप से इंकार हो गये जिससे यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद बाबद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी ख0न0 760/2 रकबा 1.0495 है0 जो वाकै ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर राज0 मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं01 लगा07 को 1/11, 1/11 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 760/2 रकबा 1.0495 है0 जो वाकै ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर राज0 मे वादी के हक व हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मजाहमत, व्यवधान/बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही उक्त भूमि को रहन बैय मुंतकिल, हस्तान्तरण करे, ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण इत्यादि करे, तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथावतस्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण का वाद बावत् घोषण खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ऐ0 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बोबास के विवादग्रस्त आराजी ख0न0 760/2 रकबा 1.0495 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/11–1/11 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/2025

मुकुट सिंह (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर